न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 00011/2014

उनवान

1. नारायण पिता शंकरलाल पंचाल जाति पंचाल निवासी लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)।
2. नर्बदाशंकर पिता शंकरलाल पंचाल जाति पंचाल निवासी लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)।
3. अमृतलाल पिता शंकरलाल पंचाल जाति पंचाल निवासी लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)।
4. भगवतीलाल पिता पुनमचंद पंचाल जाति पंचाल निवासी लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)।
5. कन्हैयालाल पिता पुनमचंद पंचाल जाति पंचाल निवासी लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)।
6. पुरूषोत्तम पिता पुनमचंद पंचाल जाति पंचाल निवासी लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)।
7. जयन्तिलाल पिता पुनमचंद पंचाल जाति पंचाल निवासी लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)।
8. कुननजी पिता कचरू पंचाल जाति पंचाल निवासी लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)।
9. बालकृष्ण पिता लक्ष्मणजी पंचाल जाति पंचाल निवासी लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.) ।

—: वादीगण

बनाम

1. देवीलाल पिता शंकरलाल पंचाल जाति पंचाल निवासी लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)।
2. नारायण पिता शंकरलाल पंचाल जाति पंचाल निवासी लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)।
3. जीवतराम पिता कचरू पंचाल जाति पंचाल निवासी लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)।
4. तहसीलदार, तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.) ।

—: प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 व 125 भू–राजस्व अधिनियम</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:34:00 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक 14.10.2025

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि आराजी नम्बर 3132, 3133, 3154/3133 संवत 2016 से 2019 वाके गांव लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा में दर्ज रेकार्ड होकर वादीगण

Scanned with OKEN Scanner

पैतृक समय से इसका उपयोग उपभोग शान्तिपुर्वक करते चले आ रहे है । उक्त नम्बरान निम्नानुसार है।

3132	4289
3133	
5154 / 3133	4290

वाके ग्राम लोहारिया पटवार हल्का लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित है। वादीगण की वंशावली निम्नानुसार है।

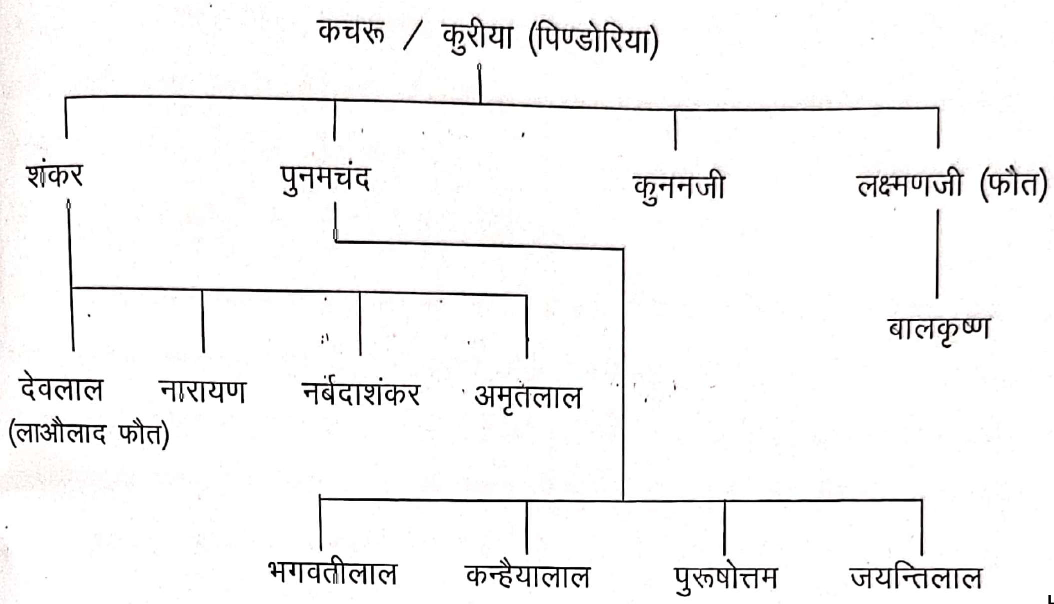

उपरोक्त वर्णित आराजी की भूमि वर्तमान में आराजी नम्बर 4289 एवं 4290 दर्ज होकर राजस्व कर्मियों की त्रुटी से प्रतिवादीगण के नाम गत सेटलमेंटके दौरान [illegible] हो गई है। क्योंकि वादीगण व प्रतिवादीगण की वंशावली एक समान है मात्र [illegible] अन्तर है। प्रतिवादीगण की वंशावली निम्नानुसार है –

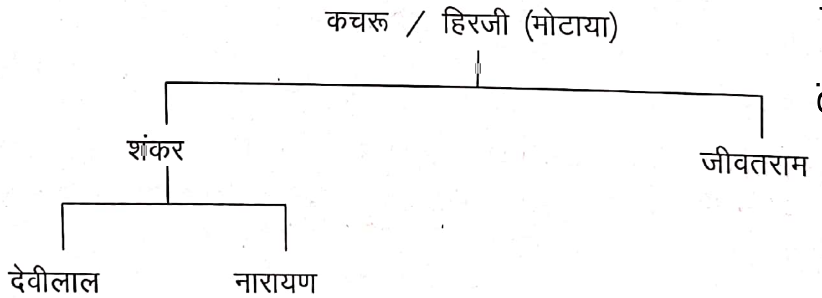

उपरोक्तानुसार एक समान वंशावली होने से वादीगण की उपरोक्त भूमि उपरोक्त आराजीयात प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गया जिस वजह से प्रतिवादीगण उक्त भूमि के लिए आये दिन विवाद करते रहते है तथा धमकिया देते है कि तुम्हें इस भूमि से बेदखल कर देंगे। इसलिए उक्त राजस्व त्रुटि को ठिक करते हुए वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि दर्ज रेकार्ड किया जाना व प्रतिवादीगण के नाम से हटाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। वक्त सेटलमेंट राजस्व कर्मचारियों एवं सेटलमेंट अधिकारियों ने त्रुटी करते हुए वादीगण का नाम रेकार्ड से हटा दिया है और प्रतिवादीगण का नाम दर्ज

कर लिया। मौके पर वादीगण अपनी जमीन पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण का वादीगण की भूमि पर कोई हक व अधिकार नही है। परन्तु उक्त राजस्व त्रुटी का लाभ उठाने वादीगण की भूमि को अवैध तरीके से हडपना चाहते है जिस हेतु आज से एक माह पूर्व प्रतिबादीगण ने वादीगण को उक्त आराजीयात की भूमि को खाली करने की धमकी दी जिस पर वादी ने राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की जिससे राजस्व कर्मचारियों की उक्त त्रुटी का पता चला। उक्त राजस्व त्रुटी की वजह से मौके पर बाद बाहुल्यताएं बढ रही है। उक्त राजस्व त्रुटी को दुरूरस्त करते हुए वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने, प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर कब्जे का, अतिक्रमण का प्रयास न करे, किसी अन्य को विक्रय करने का प्रयास न करे इस हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने बाबत् वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136, 125 भू–राजस्व अधिनियम के तहत् पेश हुआ।

पत्रावली दर्ज रजिस्ट्र कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली वादी साक्ष्य हेतु नियत की जाने पर वादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं की गई। प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी से रिपोर्ट ली जाने पर तहसीलदार, गढ़ी द्वारा रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि भू–प्रबन्ध की मिसल का अवलोकन करने हाल एवं साबिक सर्वे नम्बर निम्नानुसार है।

हाल	रकबा	साबिक	रकबा
4336/8369	0.10	3132	13 बिस्वा
4336/8370	0.08	3133	7 बिस्वा
4282	0.12	3133	10 बिस्वा
		3134	7 बिस्वा
4289	0.08	5154/3133	2 बीघा 10 बिस्वा
4290	0.48	5154/3133	
		5155/3130	
		3134	8 बीस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:34:00 IST
Reason: SelfAttested

सर्वे नम्बर 3132 रकबा 13 बिस्वा का नया सर्वे नम्बर 4336/8369 रकबा 0.10 हे0 भूमि है जो जमाबन्दी वर्ष 2029–32 में खाता संख्या 374/404 श्री शंकर पिता कचरू जाति लोहार सा. देह खातेदार के नाम दर्ज होकर देवीलाल, नारायण, निर्भयलाल, मोहनलाल, अमृतलाल रमेश पिता शंकर जाति लोहार निवासी लौहारिया के नाम दर्ज की गई। वर्तमान जमाबन्दी वर्ष 2071–74 में खाता संख्या 231 सर्वे नम्बर 4336/8369 रकबा 0.10 हे. भूमि खातेदार श्री देवीलाल, नारायणलाल, निर्भयलाल, अमृतलाल पिता शंकरलाल हिस्सा 1/4, भगवती, कन्हैया, पुरषोत्तम, जयन्ति पिता पुनमचन्द, मेवं बेवा पुनमचन्द्र 1/4, कुन्दणजी पिता कचरू व बालकृष्ण पिता लक्ष्मण व लक्ष्मी बेवा लक्ष्मण 1/2 लुहार सा. देह खातेदार वादी के नाम दर्ज रिकार्ड है। साबीक सर्वे नम्बर 3133 रकबा 17 बिस्वा का नया सर्वे नम्बर 4336/8370 रकबा 0.08 हे. व 4283 रकबा 0.12 हे. भूमि है। जो वर्तमान में श्री सरकार (ना काबिल काश्त नदिया/नाले) दर्ज होकर वर्तमान में मौके पर पडत है। साबीक सर्वे नम्बर 5154/3133 रकबा 2 बीघा 10 बीस्वा का नया सर्वे नम्बर 4289 रकबा 0.08 हे0 व 4290 रकबा 0.48 हे0 भूमि है जो जमाबन्दी वर्ष 2029–2032 में खाता नं. 645/682 श्री शंकर पिता कचरू जाति लौहार के नाम दर्ज रिकार्ड है। व जमाबन्दी वर्ष 2032 से 35 में खाता

सं. 682 सर्वे नम्बर 5154/3133 रकबा 2 बीघा 10 बीस्वा भूमि खातेदार श्री शंकर पिता कचरू लोहार सा. देह के नाम दर्ज है जो वर्तमान जमाबन्दी वर्ष 2071–74 खाता सं. 191 सर्वे नम्बर 4289 रकबा 0.08 हे व 4290 रकबा 0.48 हे. भूमि खातेदार जीवनराम पिता कचरू जाति लोहार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त 2 बीघा 10 बीस्वा भूमि वर्ष 2029 से वर्तमान तक प्रतिवादी के खाते में दर्ज रिकार्ड है। रिपोर्ट मय जमाबंदी सवंत् 2071 – 75 पेश हुई।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद संलग्न दस्तावेजो एवं भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी की रिपोर्ट का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा जिन सर्वे नम्बरो का वाद प्रस्तुत किया गया है। उन सर्वे नम्बरो में से सर्वे नम्बर 3133 के रकबे का दावे में उल्लेख नहीं किया है।, साबीक नम्बर से बने हाल सर्वे नम्बर का स्प्ष्ट उल्लेख नही किया हैं। तथा इन सर्वे नम्बर का मिलान खसरा में नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा ग्राम लोहारिया के राजस्व रिकार्ड संवत् 2016–19 में वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड होना बताया है। परन्तु वादीगण द्वारा इस समय का राजस्व रिकार्ड पेश नहीं किया है। साबीक नम्बर 3132, पूर्व से ही वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। अतः वादीगण का वाद खारीज कर वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को सरे ईजराय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:34:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : श्रवण सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 00011/2014

उनवान

1. नारायण पिता शंकरलाल पंचाल जाति पंचाल निवासी लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)।
2. नर्बदाशंकर पिता शंकरलाल पंचाल जाति पंचाल निवासी लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)।
3. अमृतलाल पिता शंकरलाल पंचाल जाति पंचाल निवासी लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)।
4. भगवतीलाल पिता पुनमचंद पंचाल जाति पंचाल निवासी लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)।
5. कन्हैयालाल पिता पुनमचंद पंचाल जाति पंचाल निवासी लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)।
6. पुरूषोत्तम पिता पुनमचंद पंचाल जाति पंचाल निवासी लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)।
7. जयन्तिलाल पिता पुनमचंद पंचाल जाति पंचाल निवासी लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)।
8. कुननजी पिता कचरू पंचाल जाति पंचाल निवासी लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)।
9. बालकृष्ण पिता लक्ष्मणजी पंचाल जाति पंचाल निवासी लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.) ।

वादीगण

बनाम

1. देवीलाल पिता शंकरलाल पंचाल जाति पंचाल निवासी लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)।
2. नारायण पिता शंकरलाल पंचाल जाति पंचाल निवासी लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)।
3. जीवतराम पिता कचरू पंचाल जाति पंचाल निवासी लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)।
4. तहसीलदार, तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.) ।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 व 125 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 15. 10.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाकर इस आशय की डिकी जारी की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:34:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 15.10.2025 को जारी की गई।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टांप वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	शून्य

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:34:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner